

न्यायालय जिला कलक्टर, चूरु
पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरु (राजरथान)

अपील संख्या 22 सन् 2021

निर्णय दिनांक 10.03.2022

डॉ. राजेन्द्रसिंह भाटी पुत्र श्री फतेहसिंह भाटी निवासी मों बाला राती लॉ एसोसियेट्स, रावत शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूल के पास, सरदारशहर जिला चूरु

– प्रार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर

– अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1), सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

--: निर्णय ::--

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अपीलांट के अनुसार दिनांक 21.04.2021 को लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर को एक आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत पेश किया। निर्धारित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर द्वारा प्रार्थी अपीलांट को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। इस कारण प्रार्थी अपीलांट ने प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट की तल्बी की गई।

लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर से दिनांक 07.03.2022 को अपील के संबंध में प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ की आवेदक को पत्रांक 1233 दिनांक 20.07.20221 को चाही गई सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है।


सुनवाई के दौरान अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट दोनों अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर पर मनन किया गया। चूंकि चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
चूरु